पेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

करण संख्या 14/2018 (रसद अपील)

र्स ग्राम सेवा सहकारी समिति माधोराजपुरा प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत माधोराजपुरा, सील फागी, जिला जयपुर जरिये फर्म व्यवस्थापक श्रीपाल ।

अपीलार्थी

बनाम

रसद अधिकारी जयपुर, द्वितीय।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 231/2017 निर्णय दिनांक 28.12.2017 एवं आदेश दिनांक 04.01.2018 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान ग्राम सेवा सहकारी समिति ग्राम पंचायत माधोराजपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर धरोहर राशि 250/–रूपये जब्त सरकार करने के आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री महेश चन्द जैन अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 29.08.2023

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति माधोराजपुरा की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत माधोराजपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर धरोहर राशि 250/–रूपये जब्त सरकार करने के आदेश से व्यथित हो कर अपील पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति माधोराजपुरा की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत माधोराजपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर का प्राधिकारधारक दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद्पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियो के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के तहत अपीलार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण राशनकार्डधारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। जिला रसद अधिकारी (मुख्यालय) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सचिवालय जयपुर ने

जिला कलक्टर
जयपुर

अखबार मे प्रकाशित खबर का सत्यापन किये बिना ही आरोप कारित किया अर्थात अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र एक तरफा आदेश दिनांक 10.10.2017 द्वारा 90 दिवस हेतु निलम्बित कर दिया। जबकि अखबार में प्रकाशित खबर का अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान से कोई संबंध नहीं है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा गठित जांच दल ने दिनांक 11.10.2017 को उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण कर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा प्रार्थी को नोटिस संख्या 10402 दिनांक 25.10.2017 जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी के विरूद्व निम्न अनियमितताओं का उल्लेख किया गया। (1) वक्त जांच मुताबिक रिकार्ड समिति के पास 121.19 क्विंटल गेहूँ होना चाहिये था जबकि भौतिक सत्यापन पर 105.19 क्विंटल गेहूं ही पाया गया। इस प्रकार मुताबिक रिकार्ड 16 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। (2) दिनांक 01.09.2016 से वक्त जांच तक समिति को 8494 लीटर केरोसीन वितरण हेतु आपूर्ति किया गया जिसे डीलर ने स्वयं अपनी स्व घोषणा में स्वीकार है। उक्तावधि में सहमति द्वारा पोस मशीन संख्या 14325 से 7659.50 लीटर केरोसीन वितरण किया है। इस प्रकार मौके पर 834.50 लीटर केरोसीन का स्टॉक दुकान पर होना चाहिये था, जबकि भौतिक सत्यापन करने पर 64.50 लीटर केरोसीन मौके पर पाया गया । इस प्रकार मौके पर 770 लीटर केरोसीन मुताबिक रिकार्ड कम पाया गया। (3) समिति द्वारा मौके पर ई–सूची यूनिट रजिस्टर पी डी एस आर्डर 2015 के अनुसार सूचनाओं का प्रदर्शन का अभाव पाया गया। (4) समिति द्वारा मौके पर मासिक विवरणिका की प्रतियां भी प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलार्थी ना तो दिनांक 11.10.2017 के निरीक्षण पर्चा की प्रति दी गई और ना ही निरीक्षणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जिनको आधार मान कर कारण बताओ नोटिस जारी किया है, की प्रति दी गई। प्रार्थी द्वारा नकल उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर भी उक्त मूल दस्तावेज पत्रावली में शामिल ना होने के कारण उपलब्ध नहीं कराई गई। अपीलार्थी ने दिनांक 18.11.2017 को रीडर द्वारा बिना लिखी आर्डशीट पर हस्ताक्षर करवा कर आगामी तारीख पेशी की सूचना भेजी जाने का कहा। अपीलार्थी दिनांक 15.01.2018 को जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के कार्यालय में उपस्थित हुआ तब अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने दिनांक 28.12.2017 के आदेश द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत माधोराजपुरा का प्राधिकार पत्र निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि जब्त करने का एक तरफा आदेश पारित कर दिये। अपीलार्थी को अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा आदेश 1976 के खण्ड 22(2) के तहत उक्त निर्णय की कोई सूचना या प्रति नहीं दी गई। निरीक्षण रिपोर्ट/फर्द मौका दिनांक 11.10.2017 व दिनांक 15.10.2017 की प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई और ना ही नोटिस के संलग्न प्रेषित की गई थी। नियमानुसार निरीक्षण दिनांक 11.10.2017 की प्रति उपलब्ध कराया जाना न्याय हित में आवश्यक था। इस आधार पर निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 11.10.2017 व 15.10.2017 सारहीन है। जैसा कि माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपनी नजीर 1988 ई एफ आर के पेज नम्बर 475 शाहदत हुसैन बनाम सब डिविजनल कन्ट्रोल एवं फूड सप्लाई कटवा के पैरा 10 में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है– In the fact of the case befor his Lordship, the petitioner by not giving copy of the inspection of the report, in fact had denied the principles of Natural judtice at it has been filed in para 90 b in said judgement. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व मामले में कोई जांच नहीं की तथा जांच दल की रिपोर्ट को साक्ष्य मान कर जो आलौच्य आदेश पारित किया है वह एक तरफा होने से निरस्तनीय है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृटान्त 1990 CRLJ 1961 Para 10 अवलोकनीय है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8(2) की पालना नहीं की जिसके अन्तर्गत प्राधिकार धारक यानि अपीलार्थी को उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपना पक्ष रखने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया । अधीनस्थ जिला रसद अधकारी जयपुर द्वितीय ने अपने निर्णय दिनांक 28.12.2017 में यह वर्णित नहीं किया है कि प्राधिकृत विक्रेता अपीलार्थी ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के किस खण्ड व प्राधिकार पत्र की किस शर्त का उल्लंघन किया है। जैसा कि 2008 (2) EFR 601 State of Orissa Vs Ashok Kumar Sahoo में सिद्वान्त पारित किया गया है। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णय में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि यदि धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है और उसमें दण्डादेश पारित नहीं किया जाता है तब तक अभियोगी का प्राधिकार पत्र निलम्बित या निरस्त नहीं किया जा सकता । इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 1990 (1) EFR 210 अवलोकनीय है। तर्को के समर्थन में अन्य न्यायिक दृष्टान्त AIR 2018 (NOC) 231 Pat, AIR 2010 (NOC) (Supp) 732 Raj., AIR 2020 PATANA 152, 1991 (2) EFR 377, AIR 2016 PATANA 148, 2010 (2) EFR 74, AIR 2014 PATANA 113, S.B. Civil Write Petition No. 5599/2015, AIR 2007 S.C.1721 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 28.12.2017 व आदेश दिनांक 4.01.2018 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र व प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अपीलार्थी को नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी कोई जबाब पेश नहीं किया। अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत व्यक्ति को कालाबाजारी के रूप में अवैद्य रूप से 489 किग्रा गेहूं बिकी किये जाना पाया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अनुसार प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। इसलिए अपीलार्थी के विरूद्व एफ॰आई॰आर॰ दर्ज कराई गई है। साथ ही अपीलार्थी की समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी पर मुख्य रूप से दो आरोप है। प्रथम भौतिक सत्यापन करने पर 16 क्विंटल गहूँ कम पाया गया। द्वितीय, 770 लीटर केरोसीन मुताबिक रिकार्ड कम पाया गया। जबकि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने बिना किसी विवेचना के अपने निर्णय में केवल 489 कि॰ग्रा॰ गेहूं कम होना बताया है। बाकी गेहूं एवं केरोसीन स्टॉक में कैसे पूर्ण हुआ, इसका अपीलाधीन निर्णय में कोई उल्लेख नहीं है। अपीलार्थी डीलर का कथन है कि स्टॉक अनुसार मात्रा. पूर्ण थी। अपीलार्थी को तथाकथित जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। जिससे अपीलार्थी अपना जबाब पेश नहीं कर सका। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया गया है कि दिनांक 18.12.2017 को अपीलार्थी डीलर द्वारा जवाब हेतु अवसर चाहा गया था और जबाब हेतु 28.12.2017 की तारीख पेशी दी गई, किन्तु दिनांक 28.12.2017 को ही बिना अपीलार्थी को सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलार्थी के कथन की पुष्टि होती है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर सटीक रूप से

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

चस्पा होते है। हम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्कों से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2017 व आदेश दिनांक 04.01.2018 को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अनियमितता मानते है, तो प्रकरण में पुनः जांच करा कर एवं अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।

निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक **29.08.2023** को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर